

ई-पत्र/निबंधित डाक

बिहार सरकार  
निर्वाचन विभाग  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

पत्रांक - ई०एल०एस०-08/2019- 4967 पटना, दिनांक 17 मई, 2019 ई०।  
प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार  
-सह-सरकार के सचिव।

सेवा में  
महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ,  
पटना।

विषय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर पटना जिला बल के सिपाही/6098 पंकज कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रिता को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी पत्नी मो० सरिता कुमारी को ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- यह राशि मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
- अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-वि (27) पे० को०-78/05-2796 वि०(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं०-वि० (27) पे०को०-78/05-451 वि० (2) दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं०-608 वि० (2) दिनांक 07.05.2014 में निहित प्रावधान एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-155 (मु०)/निर्वा० दिनांक 03.05.2019 एवं पत्रांक 1044 दिनांक 08.05.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा स्व० पंकज कुमार की पत्नी मो० सरिता कुमारी की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व स्व० पंकज कुमार के आश्रितों से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व० कुमार के आश्रितों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

4/17/5

(एच० आर० श्रीनिवास)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार  
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-08/2019- 4967

पटना, दिनांक 17 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- मो० सरिता कुमारी, पति- स्व० पंकज कुमार, ग्राम- बरनी, पो०- बरनी, थाना- धनरूआ,  
जिला- पटना, पिन- 804452 को सूचनार्थ प्रेषित।

4/17/5

(एच० आर० श्रीनिवास)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार  
-सह-सरकार के सचिव।

(44)

-2-

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-08/2019- 4967

पटना, दिनांक 17 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-08/2019- 4967

पटना, दिनांक 17 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-08/2019- 4967

पटना, दिनांक 17 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरुद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

17/5

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।